New

1.) Banking System

Banks :- कोई भी वित्तिय संस्थान जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करें (CASA), जिससे उनकी बचत को बढ़ाया जाये एवं ऋण प्रदान करें, व्यय हेतु बैंक कहलाता है।

बैंक के कार्य

प्राथमिक कार्य
- जमाओं स्वीकार करना
- ऋण प्रदान करना

द्वितीयक कार्य

Agency function
- ब्याज भुगतान
- Installment payment
- ब्याज वसूली
- चेक का ~~भुग~~ भुगतान
-

सामान्य उपयोगिता कार्य।

None Banking finance Company (NBFC)

गैर-बैंकिंग वितिय कंपनी :-

- कोई भी वित्तिय संस्थान जो एक बैंक की तरह सारे कार्य करे, लेकिन जमाओं को स्वीकार न करें, (CASA) ऋण प्रदान कर सकती है।

Note :- कोई भी वित्तिय कंपनी जिसका प्राथमिक कार्य कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि एवं अचल परिसंपतियों से संबंधित होता है, वह NBFC का कार्य नही कर सकती है।

→ बैंक एवं NBFC के बीच अंतर :-

बैंक	NBFC
- बैंक, बैंकिंग विनिमन अधिनियम 1949 के तहत कार्य करते है।	- यह कंपनी अधिनियम 1956 (2013) के तहत कार्य करते है।
- बैंक जमाओं को स्वीकार करती है एवं ऋण प्रदान करती है।	- यह जमाओं को स्वीकार नही करती है। (CASA) लेकिन ऋण दे सकती है।

चेक जारी करती है।	चेक जारी नही करती है।
यहाँ भुगदान एवं निपटान प्रणाली होता है।	यहाँ भुगदान एवं निपटान प्रणाली नही होती है।
विनियामक (Valu ↳ RBI	विनियामक ↳ RBI, MCA
यहाँ साख सृजन होता है।	यहाँ साख सृजन नही होता है।
यहाँ CRR & SLR होता है।	यहाँ CRR & SLR नही होता है।
DICGC बैंको के जमाओं को विमित (विमा) करता है।	DICGC, NBFC की जमाओं को विमित नही करता है। (FD & RD)

⇒ [DICGC]

Deposit Insurance & credit ~~gua~~ guarantee Corporation:-

→ यह DICGC अधिनियम 1961 के तहत कार्य करता है।

→ इसका स्थापना 1978 में हुआ था।

- यह RBI की एक सहायक निकाय है।

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RRB (Regional क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक, DICGC के तहत आती है।

- DICGC 5 Lakh तक की जमाओं की विमीत करता है, इसकी सिफारिश दामोदर समिति ने दी थी। (बैंकों में ग्राहक सेवा, पहले DICGC 1 लाख रुपये तक की जमाओं को विमीत करता था)

- DICGC को प्रीमीयम बैंकों के द्वारा दिया जाता है। (12 paisa में 100 रुपयों (12/100)

⟹ MFI (Microfinance Institutions)
शुक्ष्म वित संस्थान

- यह आर्थिक रूप से पिछड़े अर्थात गरीबों को तितिये सहायता प्रदान करते है।

- विश्व में शुक्ष्म वित्त का सिद्धांत मोहम्मद यूनुस, बाग्लादेश - 1976 • बांग्लादेश ग्रामीण बैंक

- यदि कोई व्यक्ति → ग्रामीण क्षेत्र = 1.2 lakh आय
  → शहरी क्षेत्र = 2 lakh आय

- 2010 में M. मालेगाम समिति के शिफारिशों के द्वारा MFI अधिक से अधिक 1.25 Lakh तक ऋण दे सकती है।

- MFI निम्नलिखित सुविधा प्रदान करती है।
    - साख सुविधा
    - funds का हस्तांतरण
    - लोगों की बचत में योगदान देती है।
    - पेंसन सुविधा देती है।
    - बीमा भी प्रदान करती है।

→ भारत में सूक्ष्म वित्त का कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा 1992 में प्रारंभ किया गया था।

↳ self help group Bank lenkage Programm के द्वारा

RBI

- Commercial Bank (वाणिज्यिक बैंक)
- Cooperative Bank (सहकारी बैंक)
- Development Bank (विकास बैंक)

Commercial Bank (वाणिज्यिक बैंक)

अनुसूचित वाणिज्यक बैंक	गैर अनुसूचित वाणिज्यक बैंक
RBI अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूचि में आती है।	RBI अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूचि में नही आती है।
न्यूनतम प्रदत्त पूँजी (paid-up capital) 5 Lakh होना चाहिए	Paid-up capital की आवश्यकता नही है।
यह RBI से ऋण ले सकती है।	यह RBI से ऋण नही ले सकती है।
इन्हें RBI के पास CRR रखना होता है।	इन्हें अपने पास CRR रखना होता है।

Cooperative Bank
(सहकारी बैंक)

- Rural Cooperative Bank (ग्रामीण सहकारी बैंक)
  - Primary Agricultural credit socity (PACS) ⇓ village level
  - Distric/ Central Co. Banks
  - State Co. Bank ⇓ Apex
- Urban Cooperative Bank (शहरी सहकारी बैंक)
  - Single State Co-Bank
  - Multi State Co-Bank

Cooperative Bank
(सहकारी बैंक)

1) पंजीकरण

- राज्य की सहकारी समिति अधिनियम के तहत
  State Cooperative Society Act या
  Cooperative society Act - 1912
- Multi-state Co-society Act 2002

2.) Regulation (विनियमन)

- RBI एवं नाबार्ड द्वारा।
- Banking laws (Cooperative society Act 1955)

3.) Control (नियंत्रण)

- RBI
- State Registar of society

→ 2020 में सभी शहरी सहकारी बैंको एवं बहुराज्य सहकारी बैंको को RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दिया।

→ 2021 में, N.S विश्वानाथन ने सभी सहकरी बैंको को 4 टायर (Tier) व्यवस्था में वर्गीकृत करने की सिफारीश दी।

4 tier structure :-

Tier 1 - Deposite = ₹ 100 cr तक

Tier 2 Deposite = ₹ 100 cr - ₹ 1000 तक

Tier 3 Deposite ₹ 1000 cr - ₹ 10000 तक

Tier 4 Deposite ₹ 10000 से अधिक

[22/09/23]

Commercial Banks
(वाणिज्यिक बैंक)

- Public sector Banks (सार्वजनिक क्षेत्र बैंक)
  - SBI + [5 Ass]
  - Nationalised Banks (राष्ट्रीयकृत बैंक)
- Private sector Banks (निजि क्षेत्र बैंक)
  - Private Indian Banks
    - ICICI
    - HDFC
    - Kotak Mah..] 2004
    - yes Bank] 2004
    - Bandhan] 2014
    - IDFC] 2014
  - Private foreign Banks
    - SCB
    - HSBC
    - RBS
    - CITI
- Regional Rural Banks (RRBs)

⇒ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक :-

→ State Bank of India

↳ 1806 में प्रथम presidency Bank

↳ Bank of Calcutta

- 1809
  ↳ Bank of kalcutta को Bank of Bengal बना दिया गया।

- 1840
  ↳ 2nd presidency Bank
  ⇓
  Bank of Bombay.

- 1843
  ↳ 3rd presidency Bank
  ⇓
  Bank of Madras

- 1921 में तीनो presidency बैंकों को मिलाकर Imperial Bank of India बना दिया गया।

- 1 July 1955 Imperial Bank of India को SBI में बदल दिया गया, Gorewala समिति की सिफारिश पर।

- 1959 में State Bank of India Associate Bank Act पास किया गया।
  ⇓
  इस अधिनियम के तहत SBI ने कुछ बैंकों को अपना सह बैंक बनाया एवं उन्हें SBI के Associate बैंक कहते थे।

- 1963
  - ↳ State Bank of Bikaner
    +
    State Bank of Jaipur
    ⇓
    State Bank of Bikaner and Jaipur
    (SBBJ)

- 2008 में State Bank of Saurashtra के SBI में विलय हो गया।

- 2010 में State Bank of Indore का विलय SBI में हो गया।

⇒ SBI
  - ↳ HeadQuarter = Mumbai
  - ↳ Head = दिनेश कुमार खर्रा

- SBI विश्व की Top-50 बैंक की सूचि में शामिल हो गई है।

राष्ट्रकृत बैंक
(Nationalised Bank)

- भारत में बैंकों के राष्ट्रकरण का प्रथम चरण
  ↳ 1969 में 14 Banks
  जिनकी जमाऐं 50 Cr से अधिक हो।

- भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण।
  ↳ 1980 में 6 Bank
  जिनकी जमाऐं 200 Cr था उससे अधिक थी।

- 1993 New Bank of India (उन 6 राष्ट्रीकृत बैंको में से)

- देना बैंक + विजया बैंक यह दोनो बैंक Bank of Borada में विलय हो गया।

- Oriental Bank of Commerce + United Bank of India
  ⇓
  Merged with PNB

- Syndicate Bank ⇒ Canara Bank

- Andhra Bank + Corporation Bank
  ⇓
  Union Bank of India

→ वर्तमान में भारत में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है।

- PNB
- Canara Bank
- Union Bank of India
- Indian Bank
- Bank of Baroda
- Bank of India
- Central Bank of India.
- Indian Overseas Bank
- UCO Bank
- Bank of Maharashtra
- Punjab and Sind Bank

⇒ RBI द्वारा निजी बैंक के लाइसेंस हेतु नियम :-

- वह कोई भी NBFC या MFI ~~or~~ या कोई अन्य कंपनी, लेकिन बैंकिंग एवं वित्त से संबंधित हो।
- न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो।
- पूर्व 5 वर्षों में लाभ वाली कंपनी होनी चाहिए।

☆ न्यूनतम आवश्यक पूंजी
↳ ₹ 500 Cr

- लाइसेंस देने के बाद RBI 18 महिनों का समय देता है, बैंकिंग प्रारंभ करने के लिए।
- कम से कम 25% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए।

⇒ RRBs (क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक)
Regional Rural Banks

→ उद्देश्य
↳ ग्रामीण क्षेत्रों में साख (ऋण) सुविधा प्रदान करने के लिए।

- कृषि हेतू साख (ऋण) उपलब्ध कराने के लिए।

- ग्रामीण विकास के लिए।

•

→ हर RRB को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ~~(?)~~ से प्रायोजित

→ भारत की पहली RRB

↳ प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद 1975 (U.P)

→ ~~RRB~~ भारत में RRB की, शुरुआत ~~नरसम~~ 'नरसीमहण समिति के सिफारिश पर किया था।

- Goa & sikkim

↳ No RRB

→ RRB का पूंजी अनुपात है

GOI = 50%

sponsored Bank (प्रायोजित बैंक) = 35%

State Government = 15%

गैर - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(Non - scheduled Commercial Bank)

⇒ local Area Bank :-

- 1996 में प्रारंभ हुआ।
- यह एक प्रकार की निजी बैंक के तौर पर लाभ कमाने हेतु कार्य करती है।
- यह विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी बचत बढ़ाने में
- आम तौर पर यह अपने आस-पास के दो-तीनों जिलों में काम करती है।
- वर्तमान में भारत में 4 Local area Bank है।
  - a.) Coastal Local area Bank, AP. (Andhra pardesh)
  - b.) समृद्धि local area Bank, AP
  - c.) सुभद्रा local area Bank, कोलापुर (महाराष्ट्र)
  - d.) Capital Local area Bank, Punjab.

25/09/23

Development Bank
(विकास बैंक)

- भूमि विकास (Land development) ⇓ NABARD
- औद्योगिक विकास (Industrial Develop.) ⇓ SIDBI ↓ MUDRA Bank
- आवासीय विकास Housing development ⇓ NHB
- अवसंरचनात्मक विकास ⇓ NaBFID
- आयात एवं निर्यात विकास ⇓ EXIM

⇒ NABARD :— (National Bank for Agriculture and Rural Development)

- स्थापना = 12 July 1982 (6th पंचवर्षीय योजना) 1980-85
- ShiviRaman समिति के द्वारा
- HQ ⇒ Mumbai
- Head = शाजी K.V
- इसके सम्पूर्ण shares भारत सरकार के पास है।
- यह कृषि हेतु ऋण एवं ग्रामीण विकास के लिए दिशा-निर्देश देता है।

2.) SIDBI
↓
- Small Industries development Bank of India.

- स्थापना = 2 April, 1990

- HQ = Lucknow

- Head = Sivasubramanian Ramann

- यह भी भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है।

- यह MSMEs के लिए वित्तिय सहायता हेतू नियम कानून बनाता है।

- MUDRA Bank, SIDBI की सहायक निकाय है।

[MUDRA Bank]

(Micro unit Development and Refinance Agency.)

- स्थापना = April 2015

- यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कार्य करती है।

- यह अपने सदस्य वित्तिय संस्थान जैसे वाणिज्यक बैंक, RRBs, लघु वित्त बैंक, NBFCs आदि को वित्तिय सहायता देती है, एवं उपर्युक्त वित्तिय

संस्थानों के द्वारा MSMEs हेतु ऋण दिया जाता है।

⇒ MUDRA बैंक 3 प्रकार के ऋण देती है।

- Shishu
  ↳ Loan up to 50,000
- Kishore
  ↳ Loan up to 50,000 to 5 lakh
- Tarun
  ↳ loan up to 5 lakh to 10 lakh.

⇒ MSMEs की परिभाषा :—
↳ शुरुआत = 2011

- पुरानी परिभाषा

~~Classification~~
Criteria = Investment in plant & Machinery or Equipment

Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing Enterprises (विनिर्माण उद्योग) Plant & Machinery	Investment < ₹ 50 lakh	₹ 5 Cr	₹ 10 Cr
Services (सेवा, Enterprise (उद्योग) (Equipment	Investment < ₹ 10 lakh	< ₹ 2 Cr	< ₹ 5 Cr

→ MSMEs की नई परिभाषा

Composite Criteria (Investment and Annual Turnover)

Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment < ₹1 cr Turnover < ₹5 cr	Investment < ₹10 cr Turnover < ₹50 cr	Investment < ₹50 cr Turnover < ₹250 cr

⇒ NHB (National Housing Bank)
राष्ट्रीय अवासीय बैंक

- स्थापना = 9 July 1988
- NHB अधिनियम 1987
- HQ = New Delhi
- Head = Sarada Kumar Hota
- यह भारत सरकार के अधिन कार्य करती है।
  (यह 2019 से पहले RBI के अधिन थी)

⇒ EXIM

↳ Export & Import Bank

- स्थापना = 1982

(Under EXIM अधिनियम 1981 के तहत)

- HQ = Mumbai

- Head = Harsha Bangari

- ~~यह~~ इसके 100% shares भारत सरकार के पास हैं।

- इसका मुख्य उद्देश्य है, वित्त, सुविधायें एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना।

⇒ NaBFID

(National Bank for fiancing Infrastructure and Development)

- स्थापना = 2021 (Under NaBFID Act 2021)

- HQ = Mumbai

- Head = KV Kamath

- इसकी स्थापना 1 Lakh crore पूंजी के साथ की गई।

- शुरुआत में इसके 100% शेयर भारत सरकार के पास हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके

26 %. shares भारत सरकार के पास रह जायेंगे।

⇒ Lead Bank Scheme :–

- Launched in 1969
- एक क्षेत्र के लिए 1 बैंक
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एवं ऋण को सही तरीके से उपलब्ध कराना।
- यह service area approch (सेवा दृष्टि कोण) के आधार पर काम करती है।

⇒ ~~Diff~~

Niche = Traget group

Differentiated Bank / Niche
(विभेदित बैंक)

⇒ Small finance Bank (लघु वित्त बैंक)

- यह जमाओं को स्वीकार कर सकती है एवं ऋण प्रदान करती है।
- यह मुख्यतः लघु व्यापारीयो, छोटे एवं सीमांत किसानो आदि को वित्तिये सहायता देती है।
- यह सभी प्रकार के जमाओं को स्वीकार करती है, अर्थात माँग जमाऐ एवं सवाधी जमाऐं।
- इनको अपने ऋण का 75% priority sectors को देना पड़ता है।
- यह RBI के पास CRR जमा करती है।
- यह अपने कुल ऋण का कम से कम 50% 25 Lakh तक देना होता है।
- यह अधिक से अधिक 25 Lakh तक ऋण दे सकती है।
- वर्तमान में 12 वित्त बैंक है।
- भारत की पहली लघु वित्त बैंक
  ↳ Capatial small finance Bank (पंजाब)

- न्यूनतम पूँजी
  ↳ 200 Crore

⇒ Payment Banks (भुगतान बैंक) :-

- यह सिर्फ जमाओं को स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान नही कर सकते है।
- ~~FD~~ यह सिर्फ बचत खाता प्रदान करती है, FD, RD allowed नही है।
- यह वित्तिय सहायता प्रदान करती है।
  ↳ प्रावासी , लघु उधमी
- यह निम्न सुविधायें उपलब्ध कराती है।
  ↳ लघु बचत ~~खाता~~ बढ़ाना।
  ↳ एक स्थान से दूसरे स्थान मुद्रा के प्रेसन।
  ↳ ~~O~~
- यह अपने 75% अपने जमाओं का सरकारी प्रतिभूमियों पर निवेश करती है।
- Minimum Captial = 100 Cr
- यह NBFC के रूप में सहायक निकाय नही खोल सकती है।
- वर्तमान में 6 भुगतान बैंक

- Airtail
- NSAL
- Jio
- Indian cost payment Bank
- FINO
- Paytam

Note:-

- लघु वित्त बैंक एवं भुगतान बैंक का मुख्य उद्देश्य वित्तिय समावेशन है।
- इनको Nachiket mor की समिति के द्वारा प्रारंभ किया गया है।
- अधिक से अधिक जमाऐ 2lakh की।

[National payment Corporation of India]

(भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) (NPCI)

- 2008 में स्थापना हुई।
- यह भारत में खुदरा भुगतानों का एक छत्र संगठन है।
- यह वित्तिय समावेशन को बढ़ाने में सहयोग देता है।
- यह एक प्रकार की गैर-लाभ कंपनी/संगठन है।
- यह कंपनी अधिनियम 1956 के खंड (XXV) एवं कंपनी अधिनियम ~~2008~~ 2013 के खंड (VIII) में परिभाषित है।
- HQ = Mumbai
- यह RBI एवं IBA (Indian Banking Association) के द्वारा संचालित है।
- यह ~~भुगतान~~ भुगतान एवं निपटान अधिनियम 2007 के तहत काम करता है।
- NPCI निम्न प्रकार की सेवा प्रदान करती है।
  - BHIM (Bharth Interface for Money)
  - UPI (Unified payment Interface)

- Rupay (Repee and payment)
- BBPS (Bharth Bill payment system)
- NACH (National ~~Atomi~~ Automated clearing House)
- CTs (~~check~~ cheque Truncation system)
- AEPS (Adhar Enabled payment system)
- NFS (National financial switch)

[26/09/23]

Reserve Bank of India (RBI)
(भारतीय रिजर्व बैंक)

- ~~199~~ 1926 में Hilton-young Commission (Royal commission) ने सुझाव दिया था, RBI की स्थापना के लिए।
- 1934 में RBI का अधिनियम पास हुआ।
- 1 April 1935 को RBI की स्थापना हुई।
- 1 January 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ।
- जब 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, तब वह एक निजि कंपनी थी। (~~मिल~~ 5 cr की पूँजी के साथ)
- RBI ने बर्मा (April 1947) एवं पाकिस्तान (June 1948) का केन्द्र बैंक का कार्य किया है।

⇒ RBI के कार्यालय :-

- 1935 में RBI का मुख्यालय कलकता में था, लेकिन 1937 में RBI के मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गई।

- 4 Zoneal / Local offices

New Delhi

Mumbai —— Kolkata

Chennai

- कुछ क्षेत्रीय कार्यालय (अधिकांश राज्यों की राजधानी में) एवं कुछ उपकार्यालय हैं।
- कुल RBI, 31 स्थानों से कार्य करती है।

Training colleges of RBI

- Banker's Training College, Mumbai
- Reserve Bank Staff College Chennai
- College of Agriculture

RBI के सदस्य

Official Directors (औपचारिक निर्देशक)

- One Governor
- four Deputy governor

Non-official Directors (गैर - औपचारिक निर्देशक)

- four zonal director
- Two member - Minister of finance
- Ten other

→ 1st Governor
↳

→ RBI के 2nd Governor = Jemes Trailer

→ RBI के 3rd Governor एवं भारत के 1st Governor ⇒ C.D देशमुख

→ डॉ मनमोहन सिंह RBI के 15th governor थे, और यह एकलौते Governor थे जो PM बने।

→ RBI के Governor का 3 साल का कार्यकाल होता है (2 वर्ष और या 65 वर्ष

- Rao Benegal Rao ने RBI में सार्वाधिक अवधी तक कार्य किया (7 वर्ष)

→ RBI के वर्तमान governor
  ↳ शक्ति कांत दास (25th)

→ 4 Deputy Governors
  • T. Ravi Sankar
  • M.R Rao
  • M.D Patra
  • स्वामीनाथन जानकी रमण

[1st female deputy Governor
  ↳ K.J Udeshi]

2 other female deputy Governor
  ↳ श्यामला गोपीनाथ
  ↳ उषा थोरट

→ RBI 15 भाषाओं में नोट छापता है।

→ RBI का प्रतीक चिन्ह
  ↳ Tiger, Palm Tree

RBI के सहायक निकाय

- Deposit Insurance and credit Guarantee Corporation (DICGC)
- Reserve Bank Information Technology Pvt. Ltd. (ReBIT) [2016]
  HQ : Mumbai
- Reserve Bank Innovation Hub (RBIH)
  HQ = बेंगलूरु
  स्थापना = 24 March 2022
- Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd (BRBNMPL)
  HQ = बेंगलूरु (कर्नाटक)
  स्थापना = 3 feb 1995
- Indian financial Technology and Allied Services (IFTAS)
  HQ = Mumbai
  स्थापना = 2015

Reports of RBI

- मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary policy Report)
- वित्तिय स्थिरता रिपोर्ट (Financial stability Report)
- वित्तिय समिक्षा रिपोर्ट (Report on Financial Review)

⇒ RBI के कार्य :-

- नोट जारी करना।
- बैंकों का निरंक्षण (विलय, Branch विस्तार, नई बैंकों की लाइसेंस)
- बैंकों का बैंक।
- सरकार का बैंक (केन्द्र एवं राज्य दोनों)
- विदेशी मुद्रा संग्रहण (under FEMA (Foreign Exchange managment Act, 1999)

FERA
⇓
पहले (Foreign Exchange Regulating Act).

- अंतिम ऋण देता के रूप में RBI है।

Credit Rating Agencies (CRA)

- यह वह कंपनियाँ है जो दूसरी कंपनीयों, लोगों, देशो के वित्तिय स्वास्थ्य की रिपोर्ट जरी करती है।
- यह सेबी (SEBI) के द्वारा विनियमीत होता है।
- CRA की रिपोर्ट के द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध कराने के निर्णय लेती है।
- भारत की मुख्य Credit Rating Agencies है।

1) CRISIL
Credit Rating Imformation Servieces of India limited. 1987 (Mumbai)

2.) ICRA
↳ Investment Information & Credit Rating Agency - 1991 (New delhi)

3.) CARE
↳ Credit Analysis and Reaserch

4.) Smera (Acuite Rating Agency)

पहले इसका नाम Smera था।

HQ = Mumbai

5.) Brickwork :-

↳ Rating India private limited

HQ = बेंगलुरु

6.) India Rating & Reserch

27/09/23

Assert quality :- Loan Return

⇒ NPA (non-performing Asserts)
गैर- निस्पादित परिसंपतियाँ

- बैंकों द्वारा दिए गए ऋण, बैंकों के लिए परिसंपति होते है।
  - यदि बैंकों अपने दिये गए ऋणो को नही वसूल पाती है, तब उन्हे Bad Loans कहते है।

Beld in = own money
Beld out = another money

⇒ बैंकों द्वारा दिए गए ऋण :—

मानक परिसंपति (standard Asserts)	गैर मानक परिसंपति / तनाग्रस्त (non-standard Assets stressed)
⇓	⇓
नियमित और समय पर भुगतान	स्पेशल मेंशन अकाउंट + NPA + पुनर्गठित संपति + बट्टे खाते में डाली गई आस्तियां
- वह ऋण जिनका नियमित भुगतान होता है।	- वह ऋण जिनका समय और नियमित भुगतान नही होता है।

Loans/Advances given by banks
(बैंकों द्वारा दिए गए ऋण)

- **Standard Asserts** (तनावग्रस्त परिसंपति)
  - **Regular** — NIL delay
  - **Stressed** — 1 to 90 day delay
    - **SMA-0** — 1-30 day delay
    - **SMA-1** — 31-60 day delay
    - **SMA-2** — 61-90 days delay
- **Non-performing Assert (NPA)** (गैर-निष्पादित परिसंपति) — > 90 day delay
  - **Sub standard Asserts** ⇓ NPA for up to 12 months
  - **Doubtful Asserts** — NPA for > 12 months
  - **loss Assets** (Non recoverable)

→ Net NPA = Gross NPA − Provising

→ वित्तिये वर्ष = 2023 में सकल NPA · 3·6%
रहा और शुद्ध NPA = 1·0% रहा।

⇒ गैर - निष्पादित परिसंपत्तियाँ
(Non- Performing Assets) (NPA)

बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए सभी ऋण उनके लिए संपति है। यदि ग्राहक बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहा है तो वे गैर - निष्पादित परिसंपत्तियाँ है।

⇒ मानक / प्रदर्शन करने वाली संपत्तियाँ
(standard / performing Assets)

- NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं है।
- उधारकर्ता ऋण राशि का भुगतान नियमितता से करता है।

⇒ गैर - मानक / तनावग्रस्त आस्तियां
(Non- standard / stressed Assets)

गैर - निष्पादित परिसंपतियाँ = ढीला उल्लेख खाता + गैर - निष्पादित परिसंपतियाँ + पुनर्रचित संपत्तिया + लिखित संपतियाँ

1. विशेष उल्लेख खाता (Special Mention Account)

प्रारंभ में जब ग्राहक ने देय तिथि पर ऋण राशि का भुगतान नहीं किया तो बैंक ने SMA में बकाया राशि का उल्लेख करना शुरू कर दिया।

यह 3 प्रकार का होता है -

i) SMA - 0 :- मूलधन या ऋण या ब्याज राशि 0 से 30 दिन।

ii) SMA - 1 :- मूलधन या ब्याज राशि 31 से 60 दिन।

iii) SMA - 2 :- मूलधन या ब्याज राशि 61 से 90 दिन

2. गैर-निष्पादित आस्तियां (Non-performing Assets)

यदि ग्राहक 90 दिनो तक ब्याज या मूलधन या दोनों का भुगतान नहीं करता है, तो इसे NPA माना जाता है।

3. पुनर्रचित आस्तियां / ऋण (Restructured Assets / Loan)

जब बैंक द्वारा बकाया ऋण का पुनर्गठन किया गया हो अर्थात पुनर्भुगतान की समयावधि निर्धारित करके ब्याज दर कम करके आदि

4. बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियाँ
(Written off Assets)

संपति या ऋण जिन्हें देय के रूप में नहीं गिना जाता है क्योंकि उन्हें अन्य तरीको से मुआवजा दिया जाता है।

नोट:- लिखित आस्तियों की गणना ऋण की छूट के रूप में नहीं की जाती है।

→ सामरिक ऋण पुनर्गठन
(Strategic Debt Reconstructing)

जब बैंक ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करता है।

→ स्ट्रेस्ड एसेट्स (S4 A) की सस्टेनेबल, स्ट्रक्चरिंग के लिए योजना :-

- डिफॉल्ट राशि ₹ 500 करोड़ और अधिक।
- ऋण राशि - स्थायी या गैर स्थायी
- गैर-स्थायी राशि में इक्विटी में परिवर्तित करें

→ भारतीय बैंकों की NPA समस्या :-

- भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता जैसी विभिन्न पहलो के कारण वित्त वर्ष 2018 से NPA में गिरावट की प्रवृति थी।
- कोरोना वायरस 'Covid-19' महामारी और

लॉकडाउन के प्रभावों के कारण देश में फंसे हुए ऋणों में वृद्धि देखने की उम्मीद थी।

⇒ भारत में NPA को रोकने के उपाय :—

i) ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT)

- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) 1993 में स्थापित किए गए थे।
- मामलों को निपटाने में लगने वाले समय को कम करना। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की आवश्यकताएँ उन पर लागू होती है। हालाँकि, चूंकि उनकी संख्या अपर्याप्त है, इसलिए उन्हें समय अंतराल का सामना करना पड़ता है, कई स्थानों पर मामले दो साल से अधिक समय से लंबित है।

ii) क्रेडिट सूचना ब्यूरो (CIB)

- वर्ष 2000 में क्रेडिट सूचना ब्यूरो (CIB) को स्थापना की गई थी।
- ऋण गलत हाथों में जाने से बचने के लिए और परिणाम स्वरूप NPA एक अच्छी सूचना प्रणाली आवश्यक है। व्यक्तिगत डिफॉल्टर्स और बिलकुल डिफॉल्टर्स (Wilful defaulter) को ट्रैक और

साझा किया जाता है, जिससे बैंकों को सहायता मिलती है।

iii) लोक अदालत - 2001

- वे छोटे ऋणों से निपटने और उनकी वसूली में उपयोगी होते हैं, लेकिन 2001 में स्थापित RBI के दिशानिर्देश उन्हें 5 लाख रुपये तक के ऋण तक सीमित कर देते हैं। वे इस मायने में फायदेमंद है कि वे अधिक मामलों को कानूनी प्रणाली में प्रवेश करने से रोकते हैं।

iv) बिलकुल डिफॉल्टर (Wilful Defaulter)

- किसी भी संस्था को इरादतन चूककर्ता माना (Wilful defaulter) जाता है।

- ऐसा करने के लिए वित्तीय साधन होने के बावजूद, इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान/चुकौती प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में फेल हो रही है।

- ~~इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान~~

- इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान/चुकौती प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में फेल हो रही है

- ऋणदाता के धन का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया है, जिसके लिए उन्हें धन को

अन्य उपयोगों में बदलने के बजाय प्राप्त किया गया था।

- इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान / पुनर्भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में फेल रही है और निधियों को इस तरह से निकाल दिया है, कि निधियों का उपयोग उस सटीक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए क्रेडिट प्राप्त किया गया था, और न ही अन्य के रूप में धन उपलब्ध है इकाई के साथ संपत्ति।

- बैंकों को 25 लाख से अधिक के बकाया ऋण के साथ बिलकुल डिफॉल्टरों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को प्रस्तुत करने होंगे।

5. सरफेसी अधिनियम क्या है ?.

- 2002 का सरफेसी अधिनियम वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन को विनियमित करने और संपत्ति के अधिकारों पर बनाए गए सुरक्षा हितों के केन्द्रीय डेटाबेस के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है।

- SARFAESI वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए

एक संक्षिप्त शब्द है।

- यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को चूककर्ता की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करके ऋण वसूल करने की अनुमति देता है।

- इस अधिनियम के तहत, भारत का पहला संपत्ति पुनर्निर्माण निगम (ARC), ARCIL की स्थापना की गई थी।

- सुरक्षित लेनदारों (बैंकों या वित्तीय संस्थानों) के पास सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत सुरक्षा हित प्रवर्तन के अधिकार है।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, 2002 का सरफेसी अधिनियम अब सभी राज्य और बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की बदौलत बैंक अब अपने कर्ज की वसूली के लिए ~~डिफॉल्टर~~ डिफॉल्टरों की संपत्तियों को जब्त और बेच सकते हैं।

⇒ सरफेसी अधिनियम - प्रावधान

- यदि वित्तीय सहायता का उधारकर्ता ऋण या किस्त पर चूक करता है, और उसके खाते को एक

सुरक्षित लेनदार द्वारा गैर- निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो सुरक्षित लेनदार सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले लिखित नोटिस का अनुरोध कर सकता है।

- असुरक्षित ऋण ₹ 100,000 से कम के ऋण और ऐसे ऋण जो प्रारंभिक सिद्धांत के 20% से कम है, कानून से मुक्त है।

- इस कानून ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) के गठन और बैंकों द्वारा ARC (जो RBI द्वारा विनियमित है) को गैर- निष्पादित परिसंपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी।

- न्यायालय की सहमति के बिना, बैंक संपार्श्विक संपत्ति का स्वामित्व लेने और उसे बेचने के लिए अधिकृत है।

- निष्कर्ष निकालने के लिए, सरफेसी अधिनियम वित्तीय संस्थानों को 'जब्त करने और रोकने' का अधिकार देता है। उन्हें 60 दिनों के भीतर भुगतान का अनुरोध करते हुए, अपराधी उधारकर्ता को एक अधिसूचना भेजनी चाहिए।

- अगर देनदार सहयोग नही करता है, तो बैंक निम्नलिखित तीन में से एक कारवाई कर सकता है।

i) ऋण सुरक्षा पर नियंत्रण रखें।

ii) सुरक्षा के अधिकार को बेचना, पट्टे पर देना या सौंपना।

iii) संपति की देखभाल करें या ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त करें।

⇒ सरफेसी अधिनियम - संशोधन

- केन्द्र सरकार ने 2013 में एक कानून पारित किया, जिसमें सहकारी बैंकों को 2002 के सरफेसी अधिनियम के तहत लाया गया।

- सुरक्षा हितों का प्रवर्तन और ऋणों की वसूली कानून और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016 ने एक बार फिर कानून को बदल दिया।

- SC ने यह भी माना कि बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(c) और 56(a) के अधीन है, जो कि सूची प्रविष्टि 45 से संबंधित कानून हैं। (संघ सूची)

6. दिवाला और दिवालियापन संहिता क्या है?

- दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) भारत का दिवाला कानून है, जिसका उद्देश्य एकल दिवाला और दिवालियापन कानून की स्थापना करके मौजूदा ढांचे को एकीकृत करना है।
- दिवाला एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक देनदार अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है।
- दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक दिवालिया व्यक्ति या कंपनी शामिल होती है जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है।
- यह बैंकों जैसे लेनदारों को ऋणों की वसूली और खराब ऋणों से बचने में मदद करने के लिए स्पष्ट और तेज दिवाला प्रक्रियाओं की स्थापना करता है, जो अर्थव्यवस्था पर एक प्रमुख दबाव है।
- यह एक व्यापक दिवाला कोड है जो सभी व्यवसायों, साझेदारियों और व्यक्तियों (वित्तीय फर्मों के अलावा) पर लागू होता है।

⇒ दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016.

- कोड ने पिछले सभी कानूनों को निरस्त कर दिया और दिवाला और दिवालियापन के मामलों को हल करने के लिए एक मानकीकृत ढांचे की स्थापना की।

- यह लेनदारों को एक व्यावसायिक निर्णय के रूप में देनदार की व्यवहार्यता का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, लेनदार या तो इसके पुनरुत्थान की योजना के लिए सहमत हो सकते है या एक त्वरित परिसमापन का प्रस्ताव कर सकते हैं।

- संहिता एक नया कानूनी ढांचा स्थापित करती है। इस ढांचे ने एक दिवाला समाधान प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और परिसमापन में सहायता की जो समयबद्ध थी। ढांचे में निम्नलिखित तत्व होते हैं।

• दिवाला पेशेवर :- वे समाधान प्रक्रिया के प्रभारी होंगे। वे देनदार की संपत्ति को भी संभालते है और लेनदारों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए जानकारी प्रदान करते है।

• दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां :-
दिवाला व्यवसायियों को दिवाला के लिए पेशेवर एजेंसियों के साथ पंजीकृत किया जाएगा। दिवाला विशेषज्ञों को प्रमाणित करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और एजेंसियों द्वारा उनके प्रदर्शन के लिए व्यवहार संहिता लागू की जाएगी।

• सूचना उपयोगिताओं :-
वे लेनदारों के लिए बकाया ऋणों के साथ-साथ चुकौती और ऋण चूक का ट्रैक बनाए रखेंगे।

• न्यायनिर्णयन प्राधिकारी :-
वे समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की मंजूरी देंगे, दिवाला पेशेवर की नियुक्ति करेंगे, और लेनदारों के अंतिम निर्णय पर हस्ताक्षर करेंगे।

- National Company Law Tribunal (NCLT) नियमों और सीमित देयताफर्मों के लिए निर्णायक प्राधिकरण है।

- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के अपने ऋणों का न्यायनिर्णयन किया जाता है।

- दिवाला और दिवालियापन बोर्ड संहिता के तहत स्थापित दिवाला विशेषज्ञों, पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं की देखरेख करेगा।

- संहिता का लक्ष्य दिवालियेपनों का समय पर समाधान करना है। मूल्यांकन और व्यवहार्यता निर्धारण 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

- कंपनी 180 दिनों की मोहलत के अधीन है (जिसे 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए समाधान की समय सीमा 90 दिन है, जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

7. बैड बैंक क्या है ?

- बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसे किसी अन्य वित्तीय संस्थान के अशोध्य ऋण (bad Loans) और अन्य चलनिधि संपत्तियों (illiquid Assets) को खरीदने के लिए बनाया गया है।

- बड़ी संख्या में गैर-निष्पादित आस्तियों वाला संगठन उन्हें बाजार मूल्य पर बैड बैंक को बेच देगा।

- मूल संस्था ऐसी संपत्तियों को खराब बैंक में स्थानांतरित करके अपनी बैलेंस शीट को साफ

करने में सक्षम हो सकती है, हालांकि यह अभी भी राइट-डाउन लेने के लिए मजबूर होगी।

- एक बैंक के बजाय, एक खराब बैंक संरचना वित्तिय संगठनों के एक संघ की जोखिम भारी संपत्ति मान सकती है।

- ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक खराब बैंक का एक जाना-माना उदाहरण है। इस इकाई की स्थापना 1988 में मेलॉन बैंक की खराब संपतियों को रखने के लिए की गई है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, आयरलैंड गणराज्य ने देश के अपने वित्तीय संकट के जवाब में 2009 में राष्ट्रीय संपति प्रबंधन एजेंसी, एक बैड बैंक की स्थापना की।

- दिवाला और दिवालियापान संहिता (IBC) और अन्य लागू समाधान उपकरण उपयोगी साबित हुए है।

⇒ भारत में बैड बैंक :-

भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़े NPA (गैर-निष्पादित आस्तियां) को हल करने के लिए बैंको से दबावग्रस्त संपति प्राप्त करने और फिर उन्हें बाजार में बेचने के लिए दो

नई फर्मों की स्थापना की है।

- NARCL :- National Asset Reconstruction Company limited. की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी और इसने RBI से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लाइसेंस के लिए आवदेन किया है।

- NARCL विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली संपत्ति खरीदेगा।

- NARCL का 51% स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास होगा।

- NARCL पहले बैंकों से बैड लोन खरीदेगा।

- यह सहमत मूल्य का 15% नकद में और शेष 85% सुरक्षा रसीदों में भुगतान करेगा।

- वाणिज्यिक बैंकों को शेष राशि का भुगतान तब किया जाएगा जब IARCL की सहायता से परिसंपत्तियां बेची जाएंगी।

- अगर बैड बैंक बैड लोन को बेचने में असमर्थ है या उसे घाटे में बेचना है तो सरकारी गारंटी सक्रिय हो जाएगी।

- यह गारंटी 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाई गई है।

- IARCL :- दबावग्रस्त आस्तियों को बाद में एक अन्य फर्म, इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IARCL) द्वारा बाजार में बेचा जाएगा।
- IARCL का स्वामित्व PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (FI) के पास अधिकतम 49% होगा।
- निजी क्षेत्र के ऋणदाता कंपनी के शेष 51% के मालिक होंगे।
- नया बैड बैंक ढांचा NARCL - IARCL का यह ढांचा है।

8. बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation)

- बैंकों का पुनर्पूंजीकरण राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानकों तक लाने के लिए अतिरिक्त पूंजी का इंजेक्शन लगा रहा है।
- इसमें पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में अधिक पूंजी डालने की आवश्यकता है।
- भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 12% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) बनाए रखने की आवश्यकता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

बेसल मानदंडों के अनुरूप रेखांकित किया गया है।

- पूंजी-से जोखिम भारित संपति और वर्तमान देयता अनुपात (CAR) एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों का अनुपात है।

- सरकार विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके नगदी की कमी वाले बैंको में पूंजी इंजेक्ट करती है।

- चूंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी हितधारक है, इसलिए पूँजी भंडार बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है।

- सरकार बांड जारी करके या नए शेयर खरीदकर बैंकों में पूँजी इंजेक्ट करती है।

- 2017 में सरकार ने रुपये की घोषणा की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ का पुनर्पूंजीकरण पैकेज।

9.) शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई :-

- खराब वित्तीय प्रदर्शन वाले बैंकों पर नजर रखने के लिए RBI, PCA ढ़ाँचे का उपयोग करता है।

- PCA ढ़ाँचे को RBI द्वारा 2002 में बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पेश किया गया था जो लाभप्रदता के नुकसान के कारण कम पूंजीकृत या कमजोर हो गए हैं।

- इसका लक्ष्य भारत की बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के मुद्दे का समाधान करना है।

- भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए समाधान व्यवस्था पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्यकारी समूह और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर रूपरेखा की समीक्षा 2017 में की गई थी।

- यदि कोई बैंक संकट में है, तो PCA को नियामक, साथ ही निवेशकों और जमाकर्ताओं को सूचित करना चाहिए।

- लक्ष्य समस्याओं को संकट के अनुपात तक पहुंचने से रोकना है।

- अनिवार्य रूप से, PCA बैंकों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करने और बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में RBI की सहायता करता है।

10. इंद्रधनुष फ्रेमवर्क - 2015

- 1970 में बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के बाद से, PSB को बदलने के लिए इंद्रधनुष ढांचा ABCDEFG द्वारा PSB को फिर से तैयार करने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सबसे व्यापक सुधार प्रयास रहा है।

- नियुक्तियां :-

कंपनी अधिनियम में दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आधार पर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का एक अलग पद सृजित किया जाएगा, जिसमें CEO को MD और CEO का पद प्राप्त होगा, और PSB के एक गैर - कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।

- बैंक बोर्ड ब्यूरो :-

PSB के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के चयन में नियुक्ति बोर्ड की जगह लेगा।

- पूंजीकरण :-

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2019 तक अगले चार वर्षों के लिए पूंजी की आवश्यकता लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से सरकार 70000 करोड़ का भुगतान करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शेष राशि से जुटाना होगा, बाजार के द्वारा।

- डीस्ट्रेसिंग :-

डी-स्ट्रेसिंग में आस्ति पुनर्निर्माण फर्मों को मजबूत करके दबावग्रस्त आस्तियों को बैंकों से बाहर रखने के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में चिंताओं को हल करना शामिल है। PSB के लिए एक संपन्न ऋण बाजार का निर्माण।

- अधिकारिता :-

जब कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात आती है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक लचीलापन और स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

- जवाबदेही की रूपरेखा :-

- कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर बैंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें सब कुछ शामिल होगा।

• गैर - निष्पादित परिसंपत्ति प्रबंधन, विकास, विविधी-करण पूंजी पर लाभ, वित्तीय समावेशन और अन्य मात्रात्मक संकेतक।

• संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए कदम, मानव संसाधन पहल आदि गुणात्मक मानकों के उदाहरण हैं।

— गवर्नेंस रिफॉर्मस :—

बैंकर्स रिट्रीट था ज्ञान संगम बैंकरों और सरकारी अधिकारियों के बीच बैंकिंग क्षेत्र की चिंताओं को हल करने और भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए बातचीत करता है।

⇒ बेसल मानदंड क्या है?

— बेसल समझौता BCBS द्वारा किए गए समझौतों के एक समूह को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिमों को संबोधित करता है।

— समझौते का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थानों के पास दायित्वों को पूरा करने और अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।

- बैंकिंग प्रणाली के लिए बेसल समझौते को भारत ने स्वीकार कर लिया है। वास्तव में RBI ने BCBS की तुलना में कुछ मापदंडों पर अधिक कड़े मानक लगाए हैं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बेसल मानदंड जारी करती है। इन मानदंडों का लक्ष्य दुनिया भर में बैंकिंग नियमों का समन्वय करके अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है। BCBS भारत सहित दुनिया भर के विभिन्न देशों के 27 प्रतिनिधियों से बना है। बेसल समिति ने वर्तमान में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन दिशानिर्देश जारी किए हैं। बेसल I, II और III

- भारत में बेसल-III को लागू करने की सीमा मार्च 2019 थी। इसे मार्च 2020 तक वापस धकेल दिया गया।

- बासेल, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है।

- यह ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) का मुख्यालय है, जो वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग नियामक मानकों के एक सामान्य लक्ष्य के साथ केन्द्रीय बैंकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

- हर दो महीने में BIS सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करता है।

बेसल :- I

- BCBS ने 1988 में बेसल पूंजी समझौता नामक पूंजी मापन की प्रणाली की शुरुआत की।
- यह लगभग पूरी तरह से ऋण जोखिम से संबंधित था।
- आवश्यक न्यूनतम पूंजी जोखिम भारित आस्तियों (RWA) के 8% पर निर्धारित की गई थी।
- RWA का तात्पर्य अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल वाली परिसंपत्तियों से है। उदाहरण के लिए, संपार्श्विक द्वारा समर्थित संपत्ति बिना किसी संपार्श्विक (collateral) के व्यक्तिगत ऋण से कम जोखिम भरी होगी।
- पूंजी को दो श्रेणियों मे बांटा गया है। टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल।
- टियर 1 पूंजी बैंक की मुख्य पूंजी है क्योंकि यह बैंक की वित्तीय मजबूती का प्राथमिक माप है।
- मुख्य पूंजी का अधिकांश हिस्सा प्रकट किए गए भंडार (जिसे प्रतिधारित आय के रूप में भी जाना

जाता है) और चुकता पूंजी से बना है।

- इसमें गैर-संचायी और गैर-प्रतिदेय पसंदीदा स्टॉक भी शामिल है।

• टियर 2 पूंजी :- इसका उपयोग पूरक फंडिंग के रूप में किया जाता है क्योंकि यह पहले टियर की तुलना में कम विश्वसनीय है।

- इसमें अघोषित भंडार, वरीयता शेयर और अधीनस्थ ऋण शामिल है।

- 1999 में भारत ने बेसल 1 दिशानिर्देशों को अपनाया।

बेसल :- II

- BCBS ने जून 2004 में बेसल-II दिशानिर्देश प्रकाशित किए, जिन्हें बेसल 1 समझौते का परिष्कृत और सुधारित संस्करण माना गया।

- दिशानिर्देशों को तीन स्तंभों पर स्थापित किया गया था, जैसा कि समिति उन्हे संदर्भित करती है।

- पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ :-
बैंकों को जोखिम आस्तियों के 8% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता रखनी चाहिए।

- पर्यवेक्षी समीक्षा :-
इसके अनुसार, बैंको को उन सभी तीन प्रकार के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए

बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकों को विकसित और कार्यान्वित करना आवश्यक था, जिनका सामना बैंक करता है :- क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम।

- बाजार अनुशासन :- इसके लिए सख्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। बैंकों को नियमित आधार पर अपने सीआरआर, जोखिम और अन्य जानकारी केन्द्रीय बैंक को देनी चाहिए।

बेसल :- III

- बेसल - III दिशानिर्देश 2010 में प्रकाशित किए गए थे।
- ये दिशा - निर्देश 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में बनाए गए थे।
- प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता थी क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बैंक कम पूंजीकृत, अधिक लीवरेज्ड थे, और अल्पकालिक वित्त पोषण पर अधिक निर्भर थे।
- दिशानिर्देशों का उद्देश्य चार महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों :- पूंजी, उत्तोलन, वित्त पोषण और तरलता पर ध्यान केन्द्रीत करके एक अधिक लचीला बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना है
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात ~~10.9~~ 11.5 % पर रखा जाना चाहिए।

Note :- Bank Board ~~Bearo~~ Bureau के स्थान पर FSIB को बनाया गया |

- FSIB :- Financial Services ~~information~~ institution Bureau.

- 1 July 2022

  यह सभी सरकारी बैंकों, सरकारी बीमा कंपनीया एवं अखिल भारतीय संस्थानों के मुखियाओ का चयन करती है।

- FSIB के सदस्य

  i) Department of public enterprise, Department of financial service के सचिव, एक अध्यक्ष 5 विशेषग, 2 नीजि क्षेत्र से |

-

4/10/23

⇒ Capital Adequacy Ratio (CAR) = $\frac{\text{Total Capital}}{\text{Risk Weight Assets}}$

पूंजी ~~प्रा~~ प्रार्यप्त अनुपात = $\frac{\text{पूर्ण पूंजी}}{\text{जोखिम भरित परिसंपति}}$

$$CAR = \frac{Tier\text{-}1 + Tier\text{-}2}{RWA}$$

Sectoral Loans	Loan Given	Risk (%)	Risk Weighed Asset
Agriculture	500	65	325
MSME	1000	30	300
Industry	2000	35	700
Govt. Sector	5000	0	0
Total	8500		1325

⇒ Capital Conservation buffer :- (2015)
पूंजी संरक्षण बफर

इसके अंतगर्त बैंकों को अच्छे समय के दौरान एक पूंजी बफर बनाना चाहिए, जिसे जब बैंक तनाव में हो तब प्रयोग किया जाता है।

- ~~B~~ बेसल नॉम - 3 के अनुसार पूंजी संरक्षण बफर 2.5% है

Capital Requriment — As % to RAWs

- Minimum common equity Tier 1 Ratio — 5.5%
- Addition Tier 1 Capital — 1.5%
- Tier-2 capital — 2.0%
- Capital Conservation Buffer — 2.5%

11.5%

⇒ Counter Cyclical Capital buffer :- (CCCb)

यह वह पूंजी है, जो बैंक द्वारा व्यापार चक्र से संबंधी जोखिमों को पूरा करने के लिए रखी जाता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को आर्थिक स्थितियों के बदलाव से ~~नुकसान~~ होने वाले नुकसान से बैंक क्षेत्र को संरक्षित करता है।

⇒ Leverage Ratio :-

$$\text{उत्तोलन अनुपात} = \frac{\text{कुल ऋण}}{\text{कुल शेयर (equity)}}$$

इसका अभिप्राय है कि कितनी पूंजी ऋण के रूप में आती है, जिससे कंपनीयां अपने वित्तिय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है।

⇒ Liquidity Coverage ratio :- (LCR)

इसकी गणना 30 दिनों की तनावअवधि में बैंक की उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को इसके कुल शुद्ध नकदी प्रवाह से विभाजित कर के की जाती है।

⇒ Net stable funds rate (ration) :-

यह अनिवार्य करता है कि बैंक अपनी ~~आफ~~ off Blance-sheet Assets और गतिविधियों के संबंध में एक सुसंगत फंडीग प्रोफाईल बनाये रखें।

- NSFR के लिए बैंकों से अपेक्षा की जाती है, कि वे अपने परिया परिचालन को वित पोषण के स्थिर स्त्रोतों से वित पोषित करें।
- NSFR कम से कम 100% होना चाहिए
- यह 1 वर्ष के लिए होता है।

Bank Run :- एक साथ बैंक से बहुत सारे पैसा निकाल लेना (Ressision के समय)

Interest Rates
(ब्याज दरें)

Between Bank & RBI

- Bank Rate
- Repo Rate
- → MSF
- RRR
- SDF

Between Bank & Customers

- **Internal Benchmark Lending Rate (ऋण दर)**
  - i) BPLR (2003)
  - ii) Base Rate — Average cost
  - iii) MCLR (Marginal cost पर)
- **External Benchmark Lending Rate**
  - EBPLR (Flexible Int. Rate & Repo Rate)

⇒ **Internal Benchmark lending Rate :—**

→ ऋणदाताओं अर्थात बैंकों के पास आम तौर पर एक आंतरिक दर होती है, जो Benchmark दर होती है। ~~सब~~

→ सभी ऋणों पर ब्याज दरें इससे जुड़ी हुई हैं।

→ आंतरिक बेंचमार्क ऋण दर निम्नलिखित प्रकार की होता है।

6 ~~Bench mark~~

- Benchmark prime Landing Rate (BPLR) :-

- 2010 से पहले बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए इसे Benchmark दर के रूप में प्रयोग करते थे। अर्थात 2003 से पहले बैंकों द्वारा ग्राहकों से ऋणों पर ब्याज दर RBI तैय किया करता था।
- BPLR के द्वारा बैंक अपने अच्छे ऋणीयों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर थी।

- Base Rate :-
(न्यूनतम दर)

- 2010 में BPLR को Base Rate में परिवर्तित कर दिया गया।
- दीपक मोहंती समिति के सिफारिशों पर।
- यह वह न्यूनतम दर है जिससे कम कोई बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकती है।
- Base rate कोषों (fund) की औसत ब्याज दर पर आधारित होते है।

- MCLR (Marginal cost of fund based Landing rate)

- यह April 2016 में लागू हुआ।

- यह floting rate ऋणों के लिए एक Benchmark उधार दर है।
- यह कोषों (fund) के सीमांत लागत दर पर होता है।
- यह न्यूनतम ब्याज दर है, जिसपर बैंक ऋण दे सकती है।

→ External Benchmark lending Rate :-

- यह 1 october 2019 में प्रारंभ हुआ।
- जनक राज समिति के सिफारिशों द्वारा।
- यह निम्नलिखित तंत्रों पर आधारित होता है।
  a.) Repo rate
  b.) 91 day, T- Bill yield
  c.) 182 day, T- Bill yield
- वर्तमान में बैंक बाहरी Benchmark पर स्प्रेड तैय करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि ब्याज दर को हर तीन महीनो में कम से कम 1 बार बाहरी Benchmark के अनुसार Reset करना चाहिए।
- वर्तमान में बैंकों द्वारा Auto loans, Personal lons, Housing loans आदि floting rate से संबंधित होते है।

5/10/23

Economic Growth & Economic Development

आर्थिक संवृद्धि	आर्थिक विकास
- एक समय अवधि में एक अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में वृद्धि।	- यह उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ प्रद्योगीकी की उन्नती, जीवन गुणवत्ता, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय असमनता को कम करना
- यह मात्रात्मक होता है।	- यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनो होता है।
- इसका मापन किया जा सकता है।	- इसका मापन नही किया जा सकता है।
- यह संकीर्ण और एक आयामी है।	- यह व्यापक और बहुआयामी है।
- आर्थिक समृद्धि के सूचक है- GDP, Per capita income.	• लिंग विकास सूचकांक, • लिंग असमानता सूचकांक, • सकल राष्ट्र खुशहाली सूचकांक, • Multidimension Poverty Index etc.